792 RB भारत सरकार भी 1914)

STOPO STOPO DY WO(tIND)

क्र.सं. पीसी-VI/253 भे सं. पी सी-VI/2010/आई/7/5/2 आरबीई सं. 47 /2011 नई दिल्ली, दिनांकः // .04/.2011

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें) सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां। (डाक सूची के अनुसार)

विषयः आशुलिपि में उच्च गति प्राप्त करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतनवृद्धि/विशेष भत्ता प्रदान करना।

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की अधिसूचना तथा बोर्ड के दिनांक 19.08.2010 के पत्र सं. पीसी-IV/2010/इन्क्रीमेंट/1 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में, इस मंत्रालय को कुछ रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें आशुलिपि में उच्च गित प्राप्त करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतनवृद्धि/विशेष भत्ता प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संशोधित वेतन संरचना में उपर्युक्त अग्रिम वेतनविद्ध की दर के संबंध में डीसी/जेसीएम में भी एक मुद्दा उठाया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है तथा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं:-

क्र.सं.	संदेह के मुद्दे	स्पष्टीकरण
1.	क्या एक अथवा दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि	संशोधित वेतन संरचना में एक अथवा दो
	प्रदान करने की योजना 01.01.2006 से	अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदानं करना
	प्रभावी संशोधित वेतन संरचना में जारी रहेगी	01.01.2006 से प्रभावी होगा।
	या नहीं ?	
2.	क्या 01.01.2006 से इसके लिए पात्र होने	आशुलिपि परीक्षा पास करने की तारीख
	वालों को मूल वेतन के विशिष्ट चरण (पे	को रेल कर्मचारी द्वारा लिए जा रहे मूल
	बैंड + ग्रेड पे में वेतन) पर 3% की दर पर	वेतन के विशिष्ट चरण (पे बैंड + ग्रेड पे
	एक/दो वेतनवृद्धि अथवा यदि कल्पित रूप	
	से आश्लिपि परीक्षा पास करने की तारीख	की गणना की जाएगी।
	को मूल वेतन ₹ 100/- हो तो विकल्पतः	
	पहली वेतनवृद्धि ₹ 100/- के 3% की दर	
	पर तथा दूसरी ₹. 103/- पर प्रदान की	
	जाएगी ?	10000

(50)

योजना (बोर्ड के दिनांक 07.11.1975 के पत्र सं. पीसी-III/74/आईएनसी/3) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने के बाद अगली वेतनवृद्धि की तारीख वही रहेगी। चंकि बोर्ड के दिनांक 19.08.2010 के पत्र सं. पीसी-IV/2010/इन्क्रीमेंट/1 के अनुसार उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियां सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में मानी जाएंगी, कपया यह स्पष्ट किया जाए कि क्या बीच में उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान करने की तारीख की अनदेखी करते हुए संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली एक जुलाई को प्रदान की जाएगी या नहीं ?

संबंधित कर्मचारी को सामान्य वेतनवृद्धि उपर्युक्त अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने की तारीख की अनदेखी करते हुए अगली 1 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

4. मौजूदा योजना के अनुसार, उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियां उच्चतर पद पर पदोन्नति होने तक स्वीकार्य हैं तथा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए इनकी गणना नहीं की जाती है। कृपया यह स्पष्ट किया जाए कि क्या बोर्ड के दिनांक 19.08.2010 के अनुदेश के फलस्वरूप उच्चतर पद पर वेतन के निर्धारण के लिए उपर्युक्त वेतनवृद्धियों की गणना की जाएगी?

बोर्ड के दिनांक 19.08.2010 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के फलस्वरूप, उच्चतर पद पर वेतन के निर्धारण के लिए उपर्युक्त वेतनवृद्धि की गणना नहीं की जाएगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।

(हरि कृष्ण)

निदेशक, वेतन आयोग-II

रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2010/आई/7/5/2

नई दिल्ली, दिनांक: 11 .04.2011

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भुवन, नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्तं आयुक्त/रेलें।

3.

Government of India Ministry of Railways (Railway Board)

S. No. PC-VI/253 No.PC-VI/2010/I/7/5/2

RBE No. 17/2011 New Delhi, dated 11.04.2011

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Grant of advance increments/special Allowance to Stenographers in subordinate offices for acquiring higher speed in Shorthand.

Following the notification of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 and issue of instructions vide Board's letter No.PC-IV/2010/increment/1 dated 19.08.2010, this Ministry has received references from some Railways seeking clarification regarding grant of advance increments/special Allowance to Stenographers in subordinate offices for acquiring higher speed in Shorthand. An item has also been raised in DC/JCM regarding rate of above advance increment in the revised pay structure. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel and Training and following clarifications are being issued:-

S.No.	- Citto of doubts	Clarifications
1.	Whether the Scheme of grant of one or two additional increments continues in the revised pay structure effective from 01.01.2006 or otherwise?	Grant of one or two
	Whether those becoming eligible for the same w.e.f.01.01.2006 would be granted one/two increments @ 3% at the specific stage of Basic Pay, (Pay in Pay Band + Grade Pay) or alternatively first increment @ 3% of ₹100 & second at ₹103 if hypothetically, the basic pay on the date of passing of Stenography test happens to be ₹100.	The increment @ 3% will be counted on the specific stage of Basic Pay (Pay in Pay Band + Grade Pay) the Railway Servants are drawing on the date of passing of Stenography test.
•	As per existing scheme (Board's letter No.PC-III/74/INC/3 dated 07.11.1975) date of next increment after the grant of advance increments should remain the same. Since above additional increments are to be treated as pay for	The normal increment will be granted to the concerned official on next 1st July ignoring date of grant of above advance increments.

	all purposes as per Board's letter No.PC-IV/2010/Increment/1 dated 19.08.2010, it may please be clarified whether next normal increment will be granted to the concerned official on next 1 st July ignoring date of grant of above additional increments in between or otherwise?	
4.	As per existing scheme, above additional increments are admissible till promotion to higher post and these are not counted for fixation on promotion. It may please be clarified whether consequent upon the instruction dated 19.08.2010 of Board, above increments would be reckoned for fixation of pay in the higher post.	19.08.2010, above increment would <u>not</u> be reckoned for fixation of

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6 Bozar 7 7 2011

(HARI KRISHAN)
Director, Pay Commission-II
Railway Board.

No.PC-VI/2010/I/7/5/2

New Delhi, dated 1/.04.2011

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares)

Am

for Financial Commissioner/Railways.

No.PC-VI/2010/I/7/5/2 Copy forwarded to: - New Delhi, dated | .04.2011

- 1. FA& CAO's (a) All Indian Railway, (b) CLW, DLW, ICF, Wheel & Axle Plant/Bangalore, DCW/ Patiala, RCF/ Kapurthala (c) MTP (R) & Chennai (d) Metro Railway (Kolkata), (e) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi (f) CORE/Allahabad.
- 2. General Manager (Const.) & FA& CAOs (Const.) (a) Northeast Frontier Railway Guwahati and (b) Southern Railway, Bangalore.
- 3. The Pay & Accounts Officer, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi.
- 4. The General Secretary. IRCA/ New Delhi.
- 5. The Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
- 6. The Managing Directors (a) RITES, NEW Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi, (b) IRCON, Palika Bhawan, Sector XIII. R.K. Puram New Delhi (c) CRIS Safdarjung Rly. Station Chanakyapur, New Delhi (d) IRFC, (e) CONCOR of India Ltd. (f) RLDA, Motibagh-